भूमिका

भारत की भू-सीमा 15,106.7 कि.मी. लंबी है और द्वीप समूह राज्य क्षेत्रों सहित इसकी तट रेखा 7,516.6 किमी. लंबी है।

सीमा प्रबंधन विभाग का सृजन

सीमा प्रबंधन पर मंत्रियों के समूह की सिफारिशों के अनुसरण में अंतरराष्ट्रीय भू-सीमा और तट रेखा के प्रबंधन, सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था एवं सुरक्षा को सुदृढ करने, सीमाओं पर सड़कों, बाड़ और फ्लड लाईटिंग जैसी अवसंरचना का सृजन करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान देने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग की स्थापना की गई थी। बाद में, सीमा प्रबंधन विभाग को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई। सीमा प्रबंधन विभाग के दो प्रभाग हैं। सीमा प्रबंधन प्रभाग-।। के कार्य/जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं-

- अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप आदि द्वीपसमूहों सहित तटीय सीमा से संबंधित सभी मामले
- सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस व्यवस्था, सभी तटीय सीमाओं पर चौकसी और गश्त को सुदृढ़ करने के लिए तटीय क्षेत्र में अवसंरचना का सृजन
- आसूचना रिपोर्टों का विश्लेषण और तटीय सुरक्षा से संबंधित एजेंसियों के साथ कार्रवाई करने योग्य आसूचना को साझा करना
- सीमा प्रबंधन में केन्द्र सरकार की भूमिका तथा राज्य सरकारों की सहायक भूमिकाओं के बारे में कम्पोजिट रणनीति
- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन
- भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) से संबंधित मामलों सहित देश की भू-सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों (आईसीपी) का विकास

****